गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांकः 315 /O.S.D.-D /2013 दिनांक 18/5/2013

सेवा में,

श्री संजीव जैन,
रिषभ बिल्डवेल प्रा0लि0,
जी0एफ0–196, रामविहार,
दिल्ली–92

महोदय,

रिषभ पैराडाईज रेजीडेन्ट वेल्फेयर एसासियेशन के पदाधिकारी मुझसे मिले और सचिव श्री नीरज गोयल ने पत्र प्रस्तुत किया, जिसके कम में निम्न कार्यवाईयॉ सुनिश्चित करें :–

1– गेट नं0–1 से मात्र वर्तमान में फ्लैटों में रह रहे निवासियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति गेट नं0 1 से प्रवेश नहीं करेगा। गेट नं0 2 पूर्व की तरह बन्द रहेगा।

2– पूर्व बैठकों में आपके द्वारा सुनिश्चित किया गया था कि पीछे कहीं पर वर्तमान मन्दिर को स्थानान्तरित करेंगे और यहॉ पर मैप के अनुसार सामुदायिक केन्द्र बनाया जायेगा। मैप के अनुसार सामुदायिक केन्द्र न बनाया जाना अत्यन्त गम्भीर बात है। इस सन्दर्भ में कार्यवाही करके रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें।

3– पार्किंग के स्थान अभी तक आवंटित नहीं किये गये हैं, आवंटन करके उसका मैप मुझे एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

4– कन्वीनियन शाप में बताया गया कि आपके द्वारा आफिस चलाया जा रहा है, इसे बन्द किया जाय, इस सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता–प्रवर्तन श्री पी0के0 शर्मा–प्रथम सील करना सुनिश्चित करें।

5– विद्युत लिमिट 5 के0वी0ए फिक्स की गयी थी, अब 7 से 8 के0वी0ए0 की मॉग की गयी है। इस पर कार्यवाही कर के एक सप्ताह में बतायें।

उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करके मेरे समक्ष दिनॉक 25–5–2013 को आप स्वयं अथवा आपके प्रतिनिधि उपस्थित होने का कष्ट करें।

अपार्टमेन्ट एक्ट के अनुसार मैप की स्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर अथवा निर्माण प्रारम्भ करने के 90 दिन के अन्दर प्रारूप पर डिक्लीयरेशन फार्म प्रस्तुत करना चाहिए, परन्तु अभी तक आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, दिनॉक 25–5–13 की बैठक में इसे भी ले आयें।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

पृष्ठॉकन संख्या– 315/O.S.D.(D)2013 दिनॉक 18/5/2013

प्रतिलिपिः 1– उपाध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

2– श्री पी0के0 शर्मा–प्रथम, सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3– श्री नीरज गोयल, सचिव, रिषभ पैराडाईज, रेजीडेन्ट वैल्फेयर एसोसियेशन, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष कार्याधिकारी